राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिनेश / प्रभुदयाल

तारीख हुक्म	585/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की सयुक्त खातेदारी काश्त की आराजीयात है, जिसका विधिक विभाजन करवाये बगैर रेस्पो. बैचान/हस्तान्तरण एवं निर्माण कर कृषि आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है इस कारण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उसमें प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT पेश कर अधीनस्थ न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया ताकि प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न न हो एवं कृषि आराजीयात का स्वरूप संरक्षित रहे सके किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बहस सुनना अंकित ही नही कर मात्र अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने का अंकन किया, जिसका लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट्स विवादग्रस्त भूमि का बिना तकासमा बैचान एवं निर्माण कर विवादग्रस्त भूमि को निरन्तर खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है ऐसेमें यदि विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति का आदेश नही दिया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न हो जावेंगे एवं प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन सभी तथ्यों को भलीभांति दर्ज कराया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अंकन नही कर मात्र अप्रार्थीगण के नोटिस करने का अंकन कर आगामी पेशी नियत कर दी गयी। यदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न हो जायेंगे जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे। हमने बहस प्रार्थी/अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का प्रथमदृष्टया संज्ञान लिया जाकर अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में युक्तियुक्त आदेश दिया जाना न्यायसंगत होता है क्युकी प्रथमदृष्टया प्रार्थी का प्रकरण उचित प्रतीत हो तो विवादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखे जाने के सन्दर्भ मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अथवा प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रतीत नही होने पर उक्त अंकन कर अग्रिम कार्यवाही की जानी होती है। इस सन्दर्भ में आदेशिका दिनांक 03/12/2021 के अवलोकन से एवं	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
585/2021	दिनेश / प्रमुदयाल	

अपीलार्थी द्वारा उद्दरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्दरित तथ्यों का अंकन नही करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामिल हेतु नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यता नही पडती | चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु का निस्तारण होना अभी शेष है अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष नियत दिनांक 12/01/2022 को उपस्थित पक्षकारो की सुनवाई कर प्रथमदृष्टया तथ्यों का संज्ञान लेकर आदेश पारित करे, तब तक विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे | अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12/01/2022 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 24/12/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर